उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या 120/2019/1176/92-2-2019-20एम/2019
लखनऊ :: दिनांक:: 22 अगस्त 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद सुलतानपुर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा सांसद निधि/विधायक निधि योजनान्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यो की प्रगति कम पाये जाने, निर्माण कार्यो के प्रति शिथिल नियंत्रण, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण व जिलाधिकारी से निर्माण कार्यो के प्रति तालमेल का अभाव एवं संवादहीनता आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री अशोक, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर सम्प्रति प्रखण्ड-इटावा के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अयोध्या को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सुलतानपुर को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 120/2019/1176(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-186-जी-23 -जी-117/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-क/व्य0प0/पत्रा0-14/19-20 दि0 31.05.2019 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि श्री अशोक के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर 03 दिन में शासन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0 विभाग, परि0-अयोध्या।
3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-सुलतानपुर।
4- श्री अशोक, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-सुलतानपुर सम्प्रति प्रखण्ड-इटावा द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in